



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 30112022-240674
CG-DL-E-30112022-240674

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5326]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/ अग्रहायण 9, 1944

No. 5326]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5558(अ).—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 121, तारीख 3 फरवरी, 2022 जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 5 फरवरी, 2022 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 15.92 एकड़ (लगभग) या 6.44 हेक्टेयर (लगभग) है, कोयले का पूर्वोक्त करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट 15.92 एकड़ (लगभग) या 6.44 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/10(सी)/2022, तारीख 02 नवम्बर, 2022 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला – चतरा (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता – 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, आम्पाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र, जिला – चतरा (झारखंड) के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, राँची (झारखंड) – 834001 या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड, राँची – 834008, झारखंड में किया जा सकेगा।

टिप्पण 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :-

“8. अर्जन की बाबत आपत्तियां. – (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिनों के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएँ करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएँ केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा, जो प्रतिकर में हित का दावा करने को हकदार होता, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।”

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता -700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 2518, तारीख 27 मई, 1983, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में 11 जून, 1983 को प्रकाशित की गई, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

होनहे शिवपुर रोड, आम्रपाली ओपनकास्ट परियोजना

जिला - चतरा (झारखण्ड)

[खंडांक संख्या आरईवी/10(सी)/2022, तारीख 02 नवम्बर, 2022]

सभी अधिकार:

खंड	ग्राम	थाना सं.	अंचल	जिला	अर्जन किए जाने वाला क्षेत्र		टिप्पणी
					एकड़ में	हेक्टेयर में	
ए	होनहे	50	टंडवा	चतरा	2.35	0.95	भाग
	नौडिहा	32	टंडवा	चतरा	1.61	0.65	भाग
	कुल (खंड – ए)				3.96	1.60	
बी	होनहे	50	टंडवा	चतरा	9.12	3.69	भाग
	नौडिहा	32	टंडवा	चतरा	2.84	1.15	भाग
	कुल (खंड – बी)				11.96	4.84	
कुल जोड़ क्षेत्र (ए + बी)					15.92 एकड़ (लगभग)	6.44 हेक्टेयर (लगभग)	

(1) खंड-ए में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

ग्राम होनहे में : प्लॉट संख्यांक 38,39 और 40(भाग).

ग्राम नौडिहा में : प्लॉट संख्यांक 116,117,120(भाग) और 123.

(2) खंड-बी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:

ग्राम होनहे में : प्लॉट संख्यांक 6(भाग), 11(भाग),28(भाग), 29(भाग), 32(भाग), 33(भाग), 34(भाग), 40(भाग), 860(भाग), 861(भाग) और 862(भाग).

ग्राम नौडिया में : प्लॉट संख्यांक 293(भाग).

सीमा वर्णन:

खंड	सीमा रेखा	सीमा वर्णन
ए	ए1-ए2-ए3-ए4-ए5-ए6-ए7-ए8-ए9-ए10-ए1.	रेखा बिन्दु 'ए1' से आरंभ होकर होनहे ग्राम में बिन्दु ए2, ए3 तथा नौडीहा ग्राम में बिन्दु ए4 से ए7 तथा होनहे ग्राम में बिन्दु ए8 से ए 10 तक गुजरते हुए और आरंभिक बिन्दु 'ए1' पर मिलती है।
बी	बी1-बी2-बी3-बी4-बी5-बी6-बी7-बी8-बी9-बी10-बी11-बी12-बी1.	रेखा बिन्दु 'बी1' से आरंभ होकर होनहे ग्राम में बिन्दु बी2, बी3, बी4 तथा नौडीहा ग्राम में बिन्दु बी5 से बी8 तथा होनहे ग्राम में बिन्दु बी9 से बी12 तक गुजरते हुए और आरंभिक बिन्दु 'बी1' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/01/2022-एलएण्डआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2022

S.O. 5558(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 121, dated the 3rd February, 2022, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957(20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th February, 2022, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 15.92 acres (approximately) or 6.44 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 15.92 acres (approximately) or 6.44 hectares (approximately) and all rights in or over the said lands as specified in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number Rev/10(C)/2022, dated the 2nd November, 2022 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Deputy Commissioner, District Chatra (Jharkhand) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 or at the office of the General Manager, Amrapali Chandragupt Area, District Chatra (Jharkhand) or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 or General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi-834008, Jharkhand.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:--

“8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.-- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, *vide* notification number S.O. 2518, dated the 27th May, 1983, published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Honhe Shivpur Road, Amrapali Opencast Project

District- Chatra (Jharkhand)

[Plan bearing number Rev/10(C)/2022, dated the 2nd November, 2022]

All Rights:

Block	Village	Thana number	Circle	District	Area to be acquired		Remarks
					In acres	In hectares	
A	Honhe	50	Tandwa	Chatra	2.35	0.95	Part
	Naudiha	32	Tandwa	Chatra	1.61	0.65	Part
	Total :				3.96	1.60	
B	Honhe	50	Tandwa	Chatra	9.12	3.69	Part
	Naudiha	32	Tandwa	Chatra	2.84	1.15	Part
	Total :				11.96	4.84	
Grand total area (A+B) :					15.92 acres (approximately)	6.44 hectares (approximately)	

(1) Plots numbers to be acquired in Block – A:

In village Honhe : Plot numbers 38, 39 and 40(P).

In village Naudiha : Plot numbers 116, 117, 120(P) and 123.

(2) Plots numbers to be acquired in Block – B:

In village Honhe : Plot numbers 6(P), 11(P), 28(P), 29(P), 32(P), 33(P), 34(P), 40(P), 860(P), 861(P) and 862(P).

In village Naudiha : Plot number 293(P).

Boundary description:

Block	Boundary line	Boundary description
A	A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A1.	Line starts from point ‘A1’ and passes through points A2, A3 in Honhe village and A4 to A7 in Naudiha village and A8 to A10 in Honhe village and meets at starting point ‘A1’.
B	B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B1.	Line starts from point ‘B1’ and passes through points B2, B3, B4 in Honhe village and B5 to B8 in Naudiha village and B9 to B12 in Honhe village and meets at starting point ‘B1’.

[F. No. 43015/01/2022-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.